न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 56/2018

1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथसिंह
2. किरण कंवर पत्नी भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासीगण घोडीवारा कलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

बनाम

1. भंवरकंवर पत्नी भंवरसिंह
2. प्रदीपसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. सरिताकंवर पुत्री भंवरसिंह
4. प्रभूसिंह पुत्र किशनसिंह
5. सवाईसिंह
6. कर्णसिंह
7. सुरजबक्स पुत्रगण मानसिंह
8. ईचरजकंवर पुत्री मानसिह
9. मालूसिंह पुत्र मोहनसिंह
10. उम्मेदकंवर पुत्री मोहनसिंह
11. सतपालसिंह पुत्र अमरावसिंह
12. मंजू कंवर पुत्री अमरावसिंह
13. मदनसिह पुत्र धोकलसिंह
14. गोपालसिंह दतक पुत्र भोपालसिंह
15. गमनकंवर पत्नी जतनसिंह
16. महाबीरसिंह पुत्र दानसिंह
17. नरपतसिंह पुत्र महाबीरसिंह
18. नरेशसिंह पुत्र महाबीरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण घोडीवाराकलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र अं.धारा आदेश 7 नियम 11सीपीसी सपठित धारा 211 रा.का.अधि. 1955

वकील वादी—श्री चन्द्रकांत शर्मा (अप्रार्थी)
वकील प्रतिवादी—श्री अमरसिंह शेखावत व भोजराज सिंह (प्रार्थी)

आदेश

निर्णय तिथि 19.08.2019

वकील प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अं.धारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 211 रा.का.अधि. 1955 का पेश कर निवेदन किया गया कि वादीगण ने उक्त दावा आराजी मुतनाजा के अपने आप को सहखातेदार कथति कर स्थाई निषेधाज्ञा के बाबत पेश किया है। सहखातेदार को रा.का.अ. के तहत स्थाई निषेधाज्ञ कां अनुतोष दफा 188 में मिलने का प्रावधान है। प्रतिादी सं0 1 से 15 जमीन जैर बहस के वादीगण के साथ राजस्व रिकार्ड में बतौर सहखातेदार दर्ज है। कानून से धारा 211 रा.का. अधि. 1955 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा एक या एक से अधिक सहखातेदारन को प्रस्तुत करने का हक नही होता है और स्थाई निषेधाज्ञा का दावा तमाम सहखतोदार मिलकर ही कर सकते हैं। यदि एक भी सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत करने के लिये इंकार कर देता है तो उस सुरत में अन्य सहखातेदार स्थाई निषेधाज्ञा का दावा नही कर सकते। उपरोक्त दावा केवल मात्र दो सहखातेदारान की तरफ से पेश हुआ और समस्त सहखतोदारान दावे में बतौर वादीगण पक्षकार नही है। इस कारण दावा मन्टेवल नही है और विधि द्वारा वर्जित है तथा धारा 211 आरटीएक्ट 1955 के

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्रावधानो के तहत केवल मात्र दो सहखातेदारान को स्थाई निषेधाज्ञा के दावा के लिये वादकारण नही

माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ के सरदारा बनाम सुरजा आर.आर.डी. 1989 पृष्ठ 102 के न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि जहां संयुक्त खातेदारी है वहां तमाम सहखातेदारान बतौर वादी बनने से इंकार करता है तो ऐसा दावा प्रोसीड नही कर सकता। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने अपने निर्णिय सिकन्दर हैयत बनाम तनवर एस प्रोपर्टी डीलर कोटा आर.आर.डी. 1998 पेज सं0 497 में यह व्यवस्था दी है कि तमाम सखातेदारान की उपस्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा धारा 211 आरटीएक्ट 1955 की दृष्टि से मेन्टेबल नही है। राजस्व मण्डल ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में उपरोक्त उल्लेखित निर्णय को भी डिस्कस किया है। इस प्रकार वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित होने से और वादकारण नही होने से काबिले खारिज है। वादीगण के दावे में स्थाई निषेधा के अलावा अन्य अंनुतोष की मांग भी नही की गई है। अतः प्रतिवादीगण की और से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का दावा विधि द्वारा वर्जित होने व वादकारण नही होने से खारिज फरमाया जावे।

वकील वादीगण (अप्रार्थी) द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि विवादित भूमि में वादीगण सहाख्तोदार होना स्वीकार है परन्तु वादीगण का वाद सहखातेदारों के विरूद्ध नही है बल्कि प्रतिवादी नं. 16 लगायत 18 के के खिलाफ रिलिफ मांगी गई है। प्रतिवादी नं. 16 लगायत 18 सह खातेदार नही है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के पैरा नं. 3 की चौथी लाईन में अंकित किया है कि खातेदारों के आपस में कोई विवाद नही है। यह तथ्य भी गलत है कि धारा 211 रा.का.अधि. की उपधारा 2 के अनुसार अगर ये दो या दो से अधिक सहभागियों में से शेष सहभागी कार्यवाही या वाद में समिलित होने से इन्कार करते हैं तो सहभागी अपने हिस्से के लिये अवशिष्ट सहभागियों को पक्षकार बनाते हुये अकेला वाद या कार्यवाही कर सकता है। इसलिये रा.का.अधि. के तहत वादीगण को वाद पेश करने का कानूनी हक व अधिकार है उस अधिकार के तहत राजस्थान काश्तकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार वादीगण ने वाद पेश किया है इसलिये वादीगण को वादकरण पैदा हुआ है तथा वादीगण ने वादपत्र के पैरा नं. 6 में भी वादकारण का उल्लेख किया है। इसलिये वादीगण का वाद ना तो वार्ड बाई लॉ है ना ही काश्तकारी अधिनियम के विपरीत है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण में चस्पा नही होती है क्योंकि धारा 211 रा.का.अधि. की उपधारा 3 के अनुसार वादीगण को वाद पेश करने का पूर्ण कानूनी हक व अधिकार है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र पेश होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना के तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने जबाब के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज करने हेतु निवेदन किया। वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत में कनार्टक हाईकोर्ट सिंगल बेंच निर्णय दिनांक 23.03.1998 बालागौड अलगोदा पाटिल व अन्य बनाम बाबासाहेब रामगौडा पाटिल, आरआरडी 14.01.17 पेज नं. 15, आरआरडी जन. 2004 पेज नं. 36 व धारा 188 की प्रति पेश किये।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। संबंधित विधि व न्यायिक दृष्टांत का अध्ययन किया। राज0 काश्त0 अधिनियम 1955 क धारा 211 के अनुसारः–

1. सह–अंशधारियों द्वारा वाद इत्यादि–(1) उपधारा (3) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जब किसी अविभक्त हक अथवा हित से दो या अधिक सह–अंशधारी संबंधित हों, तब वे सब बातें जो उसके बारे से अपेक्षित हों या उसके द्वारा किये जाने को अनुज्ञात हो, उनके द्वारा संयुक्त की जावेगी अन्यथा उस दशा के जब कि उन्होने उन सब की ओर से कार्य करने हेतु किसी अभिकर्ता को नियुक्त कर दिया हो।
2. उपधारा (1) में की कोई बात, किसी ऐसी स्थानीय प्रथा या विशेष संविदा पर, जिसके द्वारा कोई सह–अंशधारी, अभिधारी द्वारा संदेय संपूर्ण लगान अथवा उसमें का अपना अंश, पृथकतः प्राप्त करने का हकदार है, प्रभाव नही डालेगा।
3. जब दो या अधिक सह–अंशाधारियों में से उएक, वाद या कार्यवाही करने का अकेला हकदान न हो और शेष सह–अंशाधारी, उनके द्वारा संयुक्तः वसूलीय धन के लिये किसी वाद या कार्यवाही में संयुक्त होने से इन्कार करे, तो ऐसा सह–अंशधारी शेष सह–अंशधारियों को उसमें पक्षकारों के रूप में संयुक्त करते हुये अपने अंश के लिए पृथकतः वाद ला सकेगा या कार्यवाही कर सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

4. जब किसी जोत या अभिधारी अथवा ऐसे अभिधारी का अवैद्य अन्तरिती ऐसी जोत के सांपतिक अधिकार में भी सह–अंशधारी हो, तो इस धारा में की किसी बात में, ऐसे अभिधारी या अवैद्य अन्तरिती को, ऐसे अभिधारी या अवैद्य अन्तरिती के रूप में उसके विरूद्ध इसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन लाये गये किसी वाद या किये गये किसी आवेदन में वादी अथवा आवेदक के रूप में संयुक्त किये जाने की उपेक्षा नही की जायेगी।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत तीनो न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार पर चस्पा नही होती हैं। प्रकरण धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम से संबंधित है। 1999 एलएचसी 276 व कर्नाटक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1964 की धारा 133 व सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 1 नियम 9 आदेश 1 नियम 10(2) से संबंधित है। आरआरडी 14.01.2017 पूर्व में वाद खारिज होने के बावजूद पुनः नया वाद पेश करने से संबंधित है। आरआरडी जनवरी 2004 धारा 183 व धारा 211 से संबंधित है।

वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1989 पृष्ठ 102 में यह सिद्धान्त दिया गया है कि:– Rajasthan Tenancy Act. Section 188- If there is a common tenancy all co-tenants have to join as plaintiffs- If even one of them declines to join the action, suit can not proceed. (para 6)

उक्त न्यायिक दृष्टान्त अनुसार सभी सह खातेदार संयुक्त रूप से ही धारा 188 के तहत वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 के प्रावधानों के विपरीत होने से वाद पत्र इसी स्टेज पर खारिज योग्य है।

अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.8.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0)

दावा: बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 56/2018 (सुरेन्द्रसिंह आदि बनाम भंवर कंवर आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 19.08.2019 निर्णय अनुसार वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर वाद वादी इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन..........–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–.................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद ....–.........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 19 माह 08 सन ..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner